

संक्षेप मान्नीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)



राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पिता कौशल प्रसाद त्रिपाठी, निवासी-ग्राम फुलहा, तहसील-नईगढ़ी, हाल मुकाम रतहरा रीवा, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म०प्र०)

III | निगरानी | रीवा | भू-रा | 2017 | 4269

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. बृजेन्द्र प्रसाद तनय कौशल प्रसाद ब्रा०
2. अशोक कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार
3. अवनीश कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार
4. अमित कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार

निवासी-ग्राम फुलहा, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा (म०प्र०)

(5)

डी.के. वासी (एड.) मन्प्रशासन

.....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त खर्वा, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा (म०प्र०) के प्रकरण क्रमांक 170/ए74/16-17 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2017।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त खर्वा, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा ने मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र०, निगरानी-2010-II/15 में पारित आदेश दिनांक 12.01.17 के विपरीत जाकर अपने प्रकरण क्र० 170/ए-74/2016-17 में दिनांक 16.08.17 को जो आदेश पारित किया है, उस आदेश के खिलाफ यह निगरानी प्रकरण निगरानीकर्ता द्वारा पेश किया जा रहा है, जिसके तथ्यों का उल्लेख नीचे लिखे पदों में किया जा रहा है।

D.K. Pasi (Ad.)
Board of Revenue Motimahal
M.P. Gwalior
Mob. 9753356509

राज. विभा.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा./2017/4269

राजेन्द्र विरूद्ध बृजेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 170/ए-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p>	<p>(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>